

आदेश पत्रक

(देशी अधिनियम क्रमांक 1941 का नियम 120)

संख्या-ता. से तक
 1. पत्नी सं. 24 सन् 2016-17
 2 का प्रकार अ.

आदेश की क्रमांक और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में दिवसीय तारीख सहित
1	2	3

3/8/16

आपके पिपनन्दन मिस्त्री वधु चली सिन्दुरिया, जोधिया नगर के वधु मुनि का सीमांकन हेतु आपका विभाग है। मुनि का विवरण निम्नवत् है।

नाम	खाना	खेपय	रकबा
चली	06	09	0.11 3/4 एकड़

आपके मुनि के सप-यु में हल्का कुम्भ/अनल नि. से जांच प्रविष्टि की जाग को गढ़, हल्का कुम्भ/अनल नि. से जांच प्रविष्टि किया है। हल्का/अनल नि. के वधु प्रविष्टि किया है कि जाग-चली के खाना 06 खेपय 09 रकबा 0.11 3/4 एकड़ मुनि का जाग को शिवनन्दन मिस्त्री वधु के नाम से जाग पर है कि H.No 65 पर चली है। उक्त मुनि का सीमांकन खपय ना सक्ता है।

हल्का कुम्भ/अनल के प्रविष्टि के काजो में जाग आपधिकार को नो लिख निर्गत है। जाग को सुनगाह विभाग के निर्वाह की जाती है। अति निर्वाह लिपि को पुनः रखें।

NR 32/023
30/1/17

3.08.16

अभिनेता उपस्थित।
 उक्त पर उपस्थित। अतः आपका विभाग को निर्वाह की जाग को नो लिख निर्गत है। जाग को सुनगाह विभाग के निर्वाह की जाती है। अति निर्वाह लिपि को पुनः रखें।

अभिनेता 3.08.16 को (19) 3.08.16

आदेश की
क्रमांक और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

30/11/17

आंगनवासी उपस्थापित किया गया।
आवेदन रुके अन्त पदाधिकारी (ज्याप) के
समक्ष प्रस्तुत किए। तारीख 20/11/17
आंगनवासी में सन्तान है। आंगनवासी आवेदन
रुके दिन का आंगनवासी अर्थात् मुन्डू मा.
1101-00 रूपमा आंगनवासी न्यायालय में सन्तान
करी। आंगनवासी अर्थात् मुन्डू के पत्रचार प्रती
कागज पर है।

[Signature]
20.11.17
C.O. Sarda

21/11/17

आंगनवासी उपस्थापित किया गया।
आंगनवासी कार्य आंगनवासी अर्थात् मुन्डू मा.
1101-00 रूपमा हेनार रुके सां रुके रूपमा मा.
जमा किया है जिसका न्यायालय रसीद संख्या
325023 दिनांक 20/11/17 है। आंगनवासी सभी न्यायालय
को नोटिस निर्गत करे। आंगनवासी को निर्देश
दिया गया है कि आंगनवासी मुनि के रूपमा का अर्थात्
समाप्ति करे। आंगनवासी मुनि दिनांक 21/11/17 को 5)
जायेगी।

[Signature]
22.11.17

29/11/17

आंगनवासी उपस्थापित किया गया। आंगनवासी
आंगनवासी कार्य निर्धारित को आंगनवासी कार्य में
व्यय करने आंगनवासी को किया जा रहा है।
मुन्डू अर्थात् मुनि दिनांक 17-11-17 का
आंगनवासी कार्य किया जायेगा। सभी
न्यायालय को नोटिस निर्गत करे। आंगनवासी
आंगनवासी न्यायालय के पत्रचार अर्थात् समाप्ति
करे।

[Signature]
29.11.17
C.O. Sarda

आदेश की क्रम सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की क्रम सं० और तारीख
117

1
30/11/7

2
आंगिक उपस्थापित किया गया
आवेदक एवं अन्य पक्षकार को भी
सामग्री लक्ष्य किये। तामिला प्रविष्ट
आंगिक में संलग्न है। आंगिक आवेदक
रुक्मिणी का आंगिक अर्थात् मुक्त मा
1101-00 रूपमा आंगिक नगर में नमा
करे। आंगिक अर्थात् मुक्त से परचार प्रविष्ट
किये।
C. O. Sarker
30.11.17

2/11/7

आंगिक उपस्थापित किया गया।
आवेदक द्वारा आंगिक अर्थात् मुक्त मा
1101-00 रूपमा आंगिक नगर में नमा
किया है जिसका नगर रसीद संख्या
326023 दिनांक 30/11/7 है।
आंगिक सभी चार्जिंग
को नोटिस निर्गत करें। आंगिक अर्थात् को नोटिस
दिया जाये है कि परचार मुक्त के लिये कल प्रविष्ट
समाप्त करें। प्रचार मुक्त दिनांक 2/11/7 को ही
जायेगी।
C. O. Sarker
02.12.17

29/11/7

आंगिक उपस्थापित किया गया।
आंगिक द्वारा निर्धारित को अन्य भाग में
व्यय करने कारण नही दिया जा सके।
मुक्त प्रचार मुक्त दिनांक 17/11/7 को
आंगिक अर्थात् द्वारा किया जायेगा। सभी
चार्जिंग को नोटिस निर्गत करें। आंगिक
अर्थात् सीमांक से परचार प्रविष्ट समाप्त
करें।
C. O. Sarker
29.11.17

आदेश
नंबर
तारीख

आदेश का क्रमांक और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	गैर कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
4/17	<p>अतिरिक्त उपलब्ध विना शर्त। अंततः अतीत का विचार विधि को अन्य कार्य के अंतर्गत रखने के कारण आदेशित व्यक्ति का माफी पत्र अंततः नहीं हो सका। पुनः दिनांक 22.02.18 को माफी के माफी अतिरिक्त पुनः शर्त के अंतर्गत दिनांक 22.02.18 को अंतर्गत रहे।</p>	
28/01/18	<p>अतिरिक्त उपलब्ध विना शर्त। अंततः अतीत की अन्य शर्त के अंतर्गत रखने के कारण माफी का काम नहीं हो सका। पुनः दिनांक 12.02.18 को माफी के अंतर्गत अतीत को अतीत अंतर्गत रखने के अंतर्गत अतीत अतीत का माफी के माफी अतिरिक्त पुनः शर्त के अंतर्गत दिनांक 12.02.18 को अंतर्गत रहे।</p>	

17/12/17
अंततः अतीत
शर्त

06-02-18
अंततः अतीत
शर्त

~~07/01/22~~
07/01/22

अनिलोपस्थापित

महानगर लगे धम से सखित स्वयं राहें बिंदु
किन्ही भी पक्ष के लिए पेरनी नहीं की गई है।
मापी के आदेश पर कर्मचारी पाठे के आपत्ति
दर्शक नहीं हैं कि प्रस्ताव 2009 का
कुल रकम 45 ली० है, जिसका 1/4 कमीन ॥
कोलॉड विंग आदेश के ॥ के हेतु अतिरिक्त डिपॉजिट
अनुसार कोलॉड सभ्यता रक्षा विभाग की
कर्मियों के अतिरिक्त चिन्तित नहीं होनी है। शेष
विवरण देखनी ही सकता है। शेष
आपत्ति के कारण आदेश के अतिरिक्त हेतु अतिरिक्त
कर्म नहीं है।

वर्षान में कर्मियों का काम
अनुसार पोर्टल पर Online application
के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे में
भौतिक अनिलोप के माध्यम से कर्मियों का पत्र
प्रस्तुत नहीं है।

कल इधे नर के कर्मचारी के अतिरिक्त

रिज
7/1/22
50